



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 6 मार्च, 2026

फाल्गुन 15, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1

संख्या 04/2026/144/80-1-2026/80-1099/136-2025

लखनऊ, 6 मार्च, 2026

अधिसूचना

प0आ0-42

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 के नियम 137 के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, सन् 1964) की धारा 17-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है, मैं 0 ओम श्री महाकालेश्वर रोलर मिल्स प्रा० लि०, 1/2 भाग, खसरा संख्या-475 मि०, ग्राम बहलौली परगना निकट सेंट जेम्स स्कूल, हरदोई, उत्तर प्रदेश, पिन-241001 को इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पाँच वर्षों की अवधि के लिए निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर गेहूँ के क्रय पर संदेय मण्डी शुल्क (विकास उपकर को छोड़कर) से छूट प्रदान करते हैं:-

1-लाइसेन्सधारी इकाई/फर्म/प्रसंस्करण इकाई, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 और तद्दीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों का अनुसरण करेगी और मण्डी समिति द्वारा बनायी गयी उपविधियों के उपबन्धों का भी अनुसरण करेगी;

2-लाइसेन्सधारी इकाई/फर्म/प्रसंस्करण इकाई, कारबार के आय की साप्ताहिक प्राप्तियों को मण्डी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी;

3-लाइसेन्सधारी इकाई/फर्म/प्रसंस्करण इकाई, इकाई में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण, मण्डी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी;

4-यदि स्वामित्व/भागीदारी में कोई परिवर्तन होता है तो लाइसेंसधारी इकाई/फर्म/प्रसंस्करण इकाई को मण्डी समिति से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा;

5-यदि लाइसेन्स में उल्लिखित भण्डार और भंडागार में कोई विस्तार/परिवर्तन होता है तो उसे मण्डी समिति को सूचित किया जायेगा;

6-लाइसेन्सधारी, सचिव तथा प्राधिकृत अधिकारियों/कर्मचारी/कर्मचारियों को अभिलेखों और कर्मचारीवृंद की जांच करने के लिए समुचित सुविधाएँ उपलब्ध करायेगा;

7-लाइसेन्सधारी सभापति/सचिव अथवा किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारियों/कर्मचारी/कर्मचारियों की मांग पर लाइसेन्स प्रस्तुत करेगा;

8-लाइसेन्सधारी, अपने परिसर पर विक्रय अथवा भण्डारण के लिए लाये गये कृषि उत्पाद की सुरक्षा तथा संरक्षा के लिए जवाबदेह और उत्तरदायी होगा;

9-लाइसेन्सधारी इकाई/फर्म/प्रसंस्करण इकाई, किसी भी दशा में कृषकों/व्यापारियों से प्रसंस्कृत उत्पाद (आटा, मैदा, सूजी, दलिया एवं चोकर) का क्रय नहीं करेगी;

10-फर्म/इकाई का लाइसेन्स रद्द कर दिया जायेगा यदि इस बात की पुष्टि हो जाती है कि इकाई ने कृषकों/व्यापारियों से प्रसंस्कृत उत्पाद का क्रय किया है तथा उक्त प्रकरण मण्डी शुल्क से छूट के रद्दकरण के लिए सरकार को संदर्भित कर दिया जायेगा;

11-सम्बन्धित मण्डी समिति, पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विकास उपकर की वसूली करेगी;

12-इस अधिसूचना के अधीन दी गयी छूट, प्लांट और मशीनरी पर विनिधान के मूल्य से अधिक नहीं होगी;

13- लाइसेंसधारी इकाई/फर्म इस अधिसूचना के अधीन पूर्वोक्त वस्तुओं को उत्तर प्रदेश में ऐसे कृषि उत्पादन मण्डी समितियों से क्रय करने के लिये हकदार होगी, जहां से वह सम्बंधित कृषि उत्पादन मण्डी समिति द्वारा जारी विधिमान्य लाइसेंस प्राप्त किया हो।

आज्ञा से,
रविन्द्र,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 04/2026/144/LXXX-1-2026/80-1099/136-2025, dated March 6, 2026 :

No. 04/2026/144/ LXXX-1-2026/80-1099/136-2025

Dated Lucknow, March 6, 2026

IN exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of Section 17-A of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U.P. Act no. 25 of 1964) read with rule 137 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamawali, 1965, the Governor on being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, is pleased to exempt the plant of M/S Om Shree Maha Kaleshwar Roller Mills Pvt. Ltd. 1/2 Part of khasra 475 Mi., Village Behloli Pargana, near St. James School, Hardoi, Uttar Pradesh, Pin-241001 from Mandi fee (excluding development cess) payable on purchase of wheat for a period of five years, with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*, on the terms and conditions given below:-

1. Licensee Unit/Firm/Processing Unit shall follow the provisions of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 and the rules framed thereunder and also follow the provisions of bye-laws framed by the Market Committee.

2. Licensee Unit/Firm/Processing Unit shall submit the weekly receipts of income of the business to the Market Committee.

3. Licensee Unit/Firm/Processing Unit shall submit the details of the employees working in the unit to the Market Committee.

4. If there is any change in the ownership/partnership, Licensee Unit/Firm/Processing unit shall take the previous approval from the Market Committee.

5. If there is any extension/change in the store and warehouse mentioned in the licence then the same shall be informed to the Market Committee.

6. The Licensee shall provide proper facilities to the Secretary and the authorized officers/employee/employees to check the records and staff.

7. The Licensee shall produce the license on demand of the Chairman/Secretary or any other authorized officers/employee/employees.

8. The Licensee shall be accountable and responsible for the safety and security of the agriculture produce brought for the sale or for storage at his premises.

9. Licensee Unit/Firm/Processing Unit shall not purchase processed product (Aata, Maida, Suji, Daliya and Choker) from farmers/traders under any circumstances.

10. Licence of the firm/unit shall be cancelled if it is confirmed that the unit has purchased processed produce from farmer/traders and the matter shall be referred to the Government for cancellation of exemption from market fee.

11. The concerning Market Committee shall realize the development cess as per the provisions of the aforesaid Act.

12. The exemption given under this notification shall not exceed the value of investment on plant and machinery.

13. The Licensee unit/firm shall be entitled to purchase the aforesaid commodities under this notification in such Agriculture Produce Market Committees in Uttar Pradesh from where it has obtained valid licence issued by the respective Agriculture Produce Market Committee.

By order,
RAVINDER,
Pramukh Sachiv.